

कृषि विभाग


बिहार सरकार

बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी, पटना।

**अल्प कालीन निलामी सूचना**

बसोका कार्यालय अंतर्गत अनुपयोगी कागजात, लोहे की सामग्रियाँ, लकड़ी की सामग्रियाँ एवं इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियाँ खुली बोली के माध्यम से दिनांक 22/12/2021 (बुधवार) को अपराह्न 12:30 बजे बसोका कार्यालय में निलाम किया जायेगा।


निलामी में भाग लेने वाले ईच्छुक व्यक्ति/प्रतिष्ठान द्वारा निलामी की शर्तें बसोका के वेबसाईट [www.bssca.co.in](http://www.bssca.co.in) एवं कृषि विभाग के वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html> तथा बसोका के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।



निदेशक  
बसोका, पटना।

## निलामी की शर्तें

1. अनुपयोगी सामग्रियों यथा रद्दी कागज, लोही की सामग्रियाँ, लकड़ी की सामग्रियाँ एवं इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियाँ का निलामी खुली डक के माध्यम से दिनांक 22/12/2021 को बसोका कार्यालय में किया जायेगा।
2. निलामी में भाग लेने वाले क्रेता को दिनांक 21/12/2021 के संध्या 05:00 बजे तक निदेशक, बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी के नाम मो0 10,000 रू0 का बैंक ड्राफ्ट कार्यालय में जमा करते हुये पावती रसीद प्राप्त कर लेना होगा।
3. निलामी में भाग लेने वाले क्रेता दिनांक 16/12/2021 से निलामी किये जाने वाले सामग्रियों का अवलोकन कार्यालय कार्य दिवस में कर सकतें हैं।
4. निलामी निस्तारण करने वाले समिति द्वारा रद्दी सामग्रियों का न्यूनतम बोली की राशि (Floor Price) मो0 35,000/- (पैंतीस हजार) रू0 निर्धारित किया गया है।
5. निलामी की प्रथम बोली Floor Price से अधिक होगा।
6. अधिकतम बोली वाले क्रेता को निलामी समाप्ति के 5 दिनों के अंदर बोली की राशि में से पूर्व में जमा किये गये सुरक्षित राशि को घटाकर बसोका कार्यालय में जमा करना होगा तथा प्राप्ति रसीद प्राप्त करना होगा। राशि ससमय जमा नहीं करने पर सुरक्षित राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. बोली में असफल होने वाले व्यक्तियों/प्रतिष्ठान को निलामी समाप्ति के 3 घंटे के अंदर सुरक्षित राशि का बैंक ड्राफ्ट वापस कर दी जायेगी।
8. उच्चतम बोली वाले क्रेता द्वारा बोली की पूर्ण राशि जमा करने के उपरांत दो दिनों के अंदर सामग्रियों का उठाव सुनिश्चित करना होगा।
9. निदेशक, बसोका को निलामी रद्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
10. किसी प्रकार के वैधानिक अड़चन होने पर मामले को पटना स्थित न्यायालय में ही निष्पादन हेतु दायर किया जा सकता है।
11. दिनांक 22/12/2021 को निलामी की संपूर्ण प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जायेगी।
12. निलामी होने वाले सामग्रियों की सूचि एवं शर्तें बसोका एवं कृषि विभाग के वेबसाईट तथा बसोका के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

  
6.12.21

निदेशक  
बसोका, पटना।